(च) यदि नहीं, तो 1967 में सरकार द्वारा नियुक्त की गई रेलवे खान-पान प्रबन्ध तथा यात्री सुविधा समिति की सिफारिश संख्या 33 के अनुसार उनके ठेकों को रद्द न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने की व्यवस्था तथा उस पर हुआ व्यय

4637. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में गत तीन वर्षों में विद्यार्थियों, लिपिकों, सतर्कता विभाग और अन्य एजेंसियों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा है;

(ख) उक्त यात्रियों से कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया;

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से चल-टिकट निरीक्षकों द्वारा वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) बिना टिकिट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए चल-टिकट निरीक्षकों को छोड़कर अन्य एजेंसियों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार उक्त व्यय के संबंध में पूर्णतया संतुष्ट है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1967, 1968 और 1969 में की गई जांचों के दौरान जिनमें विद्यार्थियों, क्लर्कों और सतर्कता विभाग ने सहयोग दिया था, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए यात्रियों की संख्या 24,416 थी।

(ख) उक्त यात्रियों से 1,68,507 रु० की रकम वसूल की गई। इसमें अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार शामिल हैं।

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से, टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा, जिनमें चल टिकट निरीक्षक भी शामिल हैं, वसूल की गई रकम का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1967—48,58,967 रु०
1968—52,67,575 रु०
1969—54,02,411 रु०

(घ) और (ङ). टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों से भिन्न अन्य एजेंसियों पर 3,747 रुपये खर्च हुए। इसमें उन सतर्कता कर्मचारियों की लागत शामिल नहीं हैं जिनका उपयोग टिकट जांच करने के लिए किया गया, क्योंकि वे सतर्कता कार्य से सम्बद्ध विभिन्न अन्य कार्य भी करते हैं।

इस लेखे में हुआ खर्च आय की तुलना में बहुत थोड़ा और नगण्य है।

पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने की व्यवस्था तथा उस पर हुआ व्यय

4638. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में गत तीन वर्षों में विद्यार्थियों, लिपिकों, सतर्कता विभाग और अन्य एजेंसियों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति पकड़े;

(ख) उक्त यात्रियों से कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया;

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से चल-टिकट निरीक्षकों द्वारा वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए चल-टिकट निरीक्षकों को छोड़कर अन्य एजेंसियों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार उक्त व्यय के संबंध में पूर्णतया संतुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?